[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 61/2017-कैंद्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

सा.का.नि.____(अ) केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25क की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 40/2015-सीमाशुल्क, तारीख 21-07-2015, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 568(अ) तारीख 21-07-2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक पैरा में, "उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट" शब्दों के स्थान पर "पहली अनुसूची मे विनिर्दिष्ट और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51), की धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उद्ग्रहीत सम्पूर्ण एकीकृत कर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से लागू होगी।

[फा.सं.डीजीईपी/एसईज़ेड/09/2017]

(धर्मवीर शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण.- मूल अधिसूचना सं. 40/2015- सीमाशुल्क, तारीख 21-07-2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड(i) में सा.का.नि. 568(अ) तारीख 21-07-2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम संसोधन अधिसूचना सं. 25/2016- सीमाशुल्क तारीख 30-03-2016, जिसे सा.का.नि. 367(अ) तारीख 30-03-2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था।